



केन्द्रीय विद्यालय, मुलताई (म .प्र.)

(शिक्षामंत्रालय भारत सरकार के अधीन)

उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुलताई (म.प्र.)

KENDRIYA VIDYALAYA, MULTAI, (M.P.)

(Under Ministry of Education, Govt. Of India)

Excellence Higher Secondary School Multai (M.P.)

Website: <https://multai.kvs.ac.in>

E-mail: kvmultai@gmail.com

Pin code- 460661

फा.स्था./के.वि./मुलताई/2024-25/ 836 A

दिनांक-17/08/2024




कार्यालय आदेश

सहायक आयुक्त (सतकर्ता), केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्रांक फा. स. 11-55/2000 केविसं. (सतकर्ता) पीटी./1311-135: दिनांक : 05.03.2019 के आलोक में दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 से प्रभावी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निपटान के संबंध में आंतरिक शिकायत समिति तत्काल प्रभाव से लागु है।

क्रमांक	नामित किया जाने वाला सदस्य	नामावली	अधिकार क्षेत्र
01	श्रीमती, निर्मला बुडानिया, सहायक आयुक्त, के.वि.स. क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल	पीठासीन अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय में अनुभाग अधिकारी स्तर (वित्त अधिकारी को छोड़कर) तथा सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधीनस्थ
02	श्रीमती, सीमा विश्वकर्मा	गैर -सरकारी संगठन सदस्य (तरुण शक्ति समिति आमला)	प्राचार्यों, उप प्राचार्यों तथा मुख्य अध्यापकों के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच करना।
03	सुश्री, मीनाक्षी पिप्पल (प्राथमिक शिक्षिका)	सदस्य	
04	श्री राजेश साबरे (टीजीटी गणित)	सदस्य	

टिप्पणी :-

- 1) सभी स्तरों पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन इस आधार पर किया जाएगा की इस तरह नामित सदस्यों में से आये सदस्य महिला होंगे।
- 2) पीठासीन अधिकारी सहित आंतरिक शिकायत समिति के सभी सदस्य उनको नामित किये जाने की तिथि से तीन वर्षों से अधिक कार्य नहीं करेंगे।
- 3) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच सख्ती के साथ निर्धारित प्रक्रिया, अधिनिर्धारकालानुक्रम तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाए।


कालिका प्रसाद

प्राचार्य

प्राचार्य / PRINCIPAL

केन्द्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya
मुलताई म.प्र. / MULTAI M.P 460 661

प्रति,

1. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय
2. संबधित सभी सदस्य, समिति
3. कार्यालय आदेश पंजिका